

दिनांक...२१-५-२३...को पेश हो

२१-५-२३ पत्रावली पेश हुई। पार्थी एवं वकील  
पार्थी अनुपस्थित। वकील अपार्थी उप  
बार-बार आवाज दिलवाई गयी। बार-  
बार आवाज दिलवाने के बावजूद पार्थी  
एवं वकील पार्थी में से कोई उपस्थित  
नहीं। अतः अदम हाजरी। अदम पैरवी में  
पार्थी का पार्थना-पत्र खारिज किया जाता  
है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर  
से कम हो।

21.5.23  
अपसृष्ट अधिकारी  
रूपनगढ़ (अजमेर)

